



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022022-233133
CG-DL-E-04022022-233133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2022/माघ 15, 1943

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-52/2015-डीडी/58/2015-डीसी/781/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सैकत दत्ता (सदस्यता संख्या 062248), 33, ऑफिस लेन, अगरतला-799 001 (त्रिपुरा) को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (9) और भाग 4 के खंड (2) तथा दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सैकत दत्ता (सदस्यता संख्या 062248) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सैकत दत्ता (सदस्यता संख्या 062248) का नाम, 4 फरवरी, 2022 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./629/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR-52/2015-DD/58/2015-DC/781/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Saikat Datta (Membership No. 062248), 33, Office Lane, AGARTALA-799 001(Tripura)**, guilty of Professional/Other Misconduct falling within the meaning of Clause (9) of Part I and Clause (2) of Part IV of the First Schedule and Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Saikat Datta (Membership No. 062248)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Saikat Datta (Membership No. 062248)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 4th February, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./629/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022022-233134
CG-DL-E-04022022-233134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2022/माघ 15, 1943

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/219/17-डीडी/216/17/डीसी/995/2019.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. रामचंद्रन के. के. (सदस्यता संख्या 021175), 39/2088 सी, कृपा, वारियम रोड, एर्नाकुलम, कोडिनी 682 016 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और खंड (8) के अर्थात्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. रामचंद्रन के. के. (सदस्यता संख्या 021175) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। प्रत्यर्थी ने पहले ही जुर्माने का संदाय कर दिया है और अनुशासन समिति के इस आदेश को अपीलिय प्राधिकारण द्वारा उसके तारीख 1 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा भी सही ठहराया गया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. रामचंद्रन के. के. (सदस्यता संख्या 021175) का नाम, 4 फरवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./627/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/219/17-DD/216/17/DC/995/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ramachandran K K (Membership No. 021175), 39/2088 C, Kripa, Warriam Road, Ernakulam, KOCHI 682 016**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Ramachandran K K (Membership No. 021175) from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 25,000/- (Twenty Five Thousand) only. The Respondent has already paid fine and the Order of the Disciplinary Committee is also upheld by the Appellate Authority vide judgment pronounced on 1st January, 2022. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ramachandran K K (Membership No. 021175), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 4th February, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./627/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022022-233135
CG-DL-E-04022022-233135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2022/माघ 15, 1943

No. 74]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/22/16-डीडी/88/16/डीसी/1018/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. एन बास्कर (सदस्यता संख्या 207226), नंबर 5, II क्रॉस, मारवनेरी, सेलम 636 007 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (6) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. एन बास्कर (सदस्यता संख्या 207226) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. एन बास्कर (सदस्यता संख्या 207226) का नाम, 4 फरवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./626/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/22/16-DD/88/16/DC/1018/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. N Basker (Membership No. 207226), No. 5, II Cross, Maravaneri, SALEM 636 007**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (6) and (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. N Basker (Membership No. 207226)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand only) to be paid within a period of 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional period of 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. N Basker (Membership No. 207226)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 4th February, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./626/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022022-233137
CG-DL-E-04022022-233137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2022/माघ 15, 1943

No. 76]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2022/MAGHA 15, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/52/18/डीडी/12/आईएनएफ/19/डीसी/1355/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सी.ए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता सं. 130139), पुत्र श्री एम.जी. उकामनल, अशोक बिल्डिंग, एस एस मंदिर के पीछे, विजयपुरा 586 101 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (5), (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सी.ए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता सं. 130139) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सी.ए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता सं. 130139) का नाम, 4 फरवरी, 2022 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./628/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/052/18/DD/12/ INF/19/DC/1355/2020.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139), S/o Mr. M G Ukamanal, Ashok Building, Behind S S Temple, VIJAYAPURA 586 101**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5),(6),(7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for additional 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 4th February, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./628/2021-22]